मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर

-: सूचना :-

विगत में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा वर्ष-2015 में मालवीय एल्युमनाई एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित एल्युमनाई मीट-2015 की प्राप्तियों तथा व्यय का ब्यौरा समुचित रूप से कोषाध्यक्ष/सचिव/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष से माँगे जाने पर भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध न कराये जाने एवं प्राप्तियों के बैंक खाते में न जमा कराकर पारदर्शिता के अभाव में की गयी गतिविधियों को गम्भीरता से संज्ञान में लेते हुए यह निर्णय लिया गया था कि मालवीय एल्युमनाई एसोसियेशन के सचिव का दायित्व विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षक, जो कि पूर्व छात्र हों, से ही कराये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाये, जिस पर विश्वविद्यालय द्वारा समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। परन्तु, इस कार्यवाही के उपरान्त पूर्ववर्ती इन्जीनियरिंग कालेज के पूर्व छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार की अनर्गल, भ्रामक व अमर्यादित टिप्पणीयॉ की गयी है, जो कि इस नव सृजित विश्वविद्यालय के हित में नहीं है। सम्भवतः इस प्रकार की अवॉछनीय टिप्पणीयॉ मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज के कतिपय पूर्व छात्रों द्वारा प्रकरण की समुचित जानकारी न होने के अभाव में की गयी है। इस क्रम में सूच्य है कि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड स्तर से दसवीं बैठक में सम्पूर्ण प्रकरण पर उपरोक्त निर्णय मालवीय एल्युमनाई एसोसिएशन के बाइलाज के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव का दायित्व विश्वविद्यालय से वाह्य व्यक्ति द्वारा निर्वाहित किये जाने एवं सम्पूर्ण प्राप्तियों व व्यय का लेखा-जोखा कोषाध्यक्ष (विश्वविद्यालय के शिक्षक) के पास न होने से विश्वविद्यालय की छवि को कुप्रभावित होने से बचाये रखने के साथ-साथ पूर्व छात्रों में विश्वास बनाये रखने के दृष्टिगत लिया गया है। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को उपरोक्त निर्णय की पृष्ठिभूमि से संसूचित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रबन्ध बोर्ड की दसवीं बैठक के सम्मुख प्रस्तुत निम्न तथ्यों से अवगत कराया जाता है :-

"प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 23 अगस्त, 2014 को सम्पन्न हुई तृतीय बैठक में मद संख्या तृतीय-13 द्वारा मालवीय एल्युमनाई एसोसिएशन के गठन की अनुमति प्रदान की गयी थी। वर्ष-2015 में मालवीय एल्युमनाई एसोसियेशन के तत्वाधान में आयोजित एल्युमनाई मीट-2015 के उपरान्त कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा इस दौरान प्राप्तियों तथा व्यय का व्यौरा माँगे जाने पर

'अधिष्ठाता, नियोजन तथा एल्युमनाई संबंध' द्वारा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों (कोषाध्यक्ष/सचिव/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष) से प्राप्तियों व व्यय का विवरण माँगा गया, जिसे एसोसियेशन द्वारा अद्यतन उपलब्ध न कराते हुए कोषाध्यक्ष द्वारा इस बात की सूचना दी गयी कि एल्युमनाई कन्वेंशन-2015 के दौरान रू0 3,55,000.00 कैश रूप में प्राप्त हुये, जिसे सचिव को हस्तगत करा दिया गया। कोषाध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में एसोसिएशन के बैंक खाते में रू0 3,292.00 मात्र उपलब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि एसोसिएशन के संचालन में प्राप्तियों के व्यय का सम्पूर्ण लेखा-जोखा कोषाध्यक्ष (विश्वविद्यालय के शिक्षक) द्वारा न रखते हुए सचिव स्तर से किया जा रहा है। सचिव का दायित्व वाह्य व्यक्ति द्वारा निर्वाहित किये जाने के कारण विश्वविद्यालय का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है परन्तु, आय-व्यय में सम्पूर्ण पारदर्शिता न होने से विश्वविद्यालय की छवि कुप्रभावित होने के साथ-साथ पूर्व छात्रों में अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है।"

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त संबंधितों से अनुरोध है कि कृपया विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं विकास के लिये इसकी गतिविधियों को समुचित पारदर्शिता व उत्तरदायित्व के साथ संचालित किये जाने के प्रयासों के आलोक में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी सार्वजनिक स्थल पर करने से पूर्व कृपया सक्षम प्राधिकारी से तथ्यों की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर लें तथा विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने में अपना महती सहयोग प्रदान कर अनुग्रहीत करें।

(के0 पी0 सिंह)
कुलसचिव

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/कुस0का0/2296/2016 दिनांक 13 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वै0स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
02. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी/अध्यक्ष, आई0टी0आर0सी0/समन्वयक, टेक्विप/प्रो0 इन्चार्ज, अवस्थापना।
03. वित्त नियन्त्रक
04. वेबमास्टर को अपलोड किये जाने हेतु
05. गार्ड फाईल।

13.7.16

(के0 पी0 सिंह)
कुलसचिव